

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर जिला
चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री पुनीत कुमार गेलड़ा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 21 / 2017

दायर दिनांक 03.07.2015

सुगन कंवर	उनवान	तहसीलदार
	बनाम	

वाद-पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 29.01.2025

—:निर्णय:—

पत्रावली पेश हुई, वकील वादी हाजिर नहीं आये। वकील वादी को उपस्थिति वास्ते पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं, आज भी अनुपस्थित। बार-बार आवाजे लगाई गई। उपस्थित नहीं आए। आदेश 09 नियम 5 सी.पी.सी अनुसार पर्याप्त अवसर दिये पर भी तलबी पेश नहीं की जाने से पत्रावली अदम हाजिरी / अदम पैरवी / अदम तलबी में खारिज की जाती है। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(श्री पुनीत कुमार गेलड़ा)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

